800

8/8/16
पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। आज ~~Md. Em~~ प्रशासनिक कार्य में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 12/8/16 को पेश हो।

800

12/8/16
पत्रावली प्रस्तुत। वकील उभय उपस्थित। वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 183 RTA के कब्जे काश्त में प्रस्तुत करते हुए वादीगण की आराजी सं. 50, 402, 406, 465, 466, 483 एवं 491 मौजा आतरी में आने जाने का रास्ता सामुदायिक भवन व श्री अमृतलाल जोशी के खाते की आराजी 398 के बीच में होना बताते हुए किये गये निर्माण को ध्वस्त कराने निवेदन किया है।

विपक्षी श्री अमृतलाल जोशी ने दिनांक 7.10.2015 को प्रा. पत्र ओ. 7 Ru. 11 जा.दी. के तहत प्रस्तुत करते हुए विवादित भूमि

खसरा नं. 398/1 रकबा 0.1 बिस्वा आबादी की भूमि होने से तथा विवाद भी रास्ते का होने से इसकी सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होने से वाद खारीज करने निवेदन किया।

उभय पक्षो की बहस समाप्त की गई। वादीगण के अभिभाषक का कथन है कि वादीगण कि कृषि भूमि मे आवागमन हेतु तत्कालिन पंचायत ने 66 फिट भूमि उपलब्ध कराई थी तथा इसके अलावा उनके भूमि मे आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है। विपक्षीगण के अभिभाषक का कथन है कि विपक्षी सं. 1 ने जरिये पंजीकृत दस्तावेज के ख. नं. 398/1 आबादी भूमि मे से क्षेत्र 12.5 X 34.85 फिट अर्थात् 435.6 व.फि. भूखण्ड खरीद कर काबिज होना बताते हुए विवादित भूमि रास्ते बाबत मौके होने से इसका श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होने से वाद खारीज किया जावे।

उभय पक्षो की बहस के क्रम मे पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण के वाद, प्रतिवादी के प्रा.पत्र, बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त भूमि मौजा आंतरी कि आ.स. 398/1 बाबत होकर यह भूमि आबादी मे परिवर्तित हो वर्तमान मे आबादी भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत दस्तावेज के भूखण्ड क्रय किया है, तथा मामला आबादी भूमि मे रास्ता उपलब्ध कराने संबंधित होने से इसका श्रवणाधिकार मा. सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना प.7 रि. 11 प्र.वी. स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारीज किया जाता है। निर्णय सुनाया। पत्रावली फैसल हो।

SDO